



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17092020-221799
CG-DL-E-17092020-221799

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 460]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 17, 2020/भाद्र 26, 1942

No. 460]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 17, 2020/BHADRA 26, 1942

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2020

सा.का.नि. 566(अ).—केन्द्र सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 87 की उप-धारा (2) के खंड (घ) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल (मालडिब्बों के अधिक लदान के लिए दंडात्मक प्रभार) नियम, 2012 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों को रेल (मालडिब्बों के अधिक लदान के लिए दंडात्मक प्रभार) (द्वितीय संशोधन) नियम, 2020 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त माने जाएंगे।

2. रेल (मालडिब्बों के अधिक लदान के लिए दंडात्मक प्रभार) नियम, 2012 में, अनुसूची में,-

(क) स्थिति-क शीर्षक के अंतर्गत,

(i) भाग-I में, उपशीर्षक में, शब्द “बीसीएनएचएल, बीसीसीडब्ल्यू और बीएफएनएसएम22.9 मालडिब्बों को छोड़कर, अन्य मालडिब्बों के लिए” के लिए, शब्द “बीसीएनएचएल, बीसीसीडब्ल्यू, बीएफएनएसएम22.9,

बीसीएफसी और बीसीएफसीएम मालडिब्बों को छोड़कर, अन्य मालडिब्बों के लिए” प्रतिस्थापित किया जाए;

- (ii) भाग-II में, मद (ii) में, उप-शीर्षक में, शब्द “बीसीसीडब्ल्यू और बीएफएनएसएम22.9 मालडिब्बों के लिए” के लिए, शब्द “बीसीसीडब्ल्यू, बीएफएनएसएम22.9, बीसीएफसी और बीसीएफसीएम मालडिब्बों के लिए” प्रतिस्थापित किया जाए।

(ख) स्थिति-ख शीर्षक के अंतर्गत,

- (i) भाग-I में, उप-शीर्षक में, शब्द “बीसीएनएचएल, बीसीसीडब्ल्यू और बीएफएनएसएम22.9 मालडिब्बों को छोड़कर, अन्य मालडिब्बों के लिए” के लिए, शब्द “बीसीएनएचएल, बीसीसीडब्ल्यू, बीएफएनएसएम22.9, बीसीएफसी और बीसीएफसीएम मालडिब्बों को छोड़कर, अन्य मालडिब्बों के लिए” प्रतिस्थापित किया जाए;
- (ii) भाग-II में, मद (ii) में, उप-शीर्षक में, शब्द “बीसीसीडब्ल्यू और बीएफएनएसएम22.9 मालडिब्बों के लिए” के लिए, शब्द “बीसीसीडब्ल्यू, बीएफएनएसएम22.9, बीसीएफसी और बीसीएफसीएम मालडिब्बों के लिए” प्रतिस्थापित किया जाए।

[फा. सं. टीसीआर/1394/2020/2]

वरजेश धर्माणी, कार्यकारी निदेशक, यातायात वाणिज्य (दर)

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उप खंड (i), में सा.का.नि. 570(अ), दिनांक 17 जुलाई, 2012 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा तत्पश्चात अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 898(अ) दिनांक 17 दिसंबर, 2012, सा.का.नि. 550(अ) दिनांक 10 जुलाई, 2015, सा.का.नि. 278(अ) दिनांक 26 मार्च, 2018, सा.का.नि.1205(अ) दिनांक 14 दिसंबर, 2018 और सा.का.नि.560(अ) दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2020

G.S.R. 566(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (d) of sub-section (2) of section 87 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Railways (Punitive charges for overloading of wagon) Rules, 2012, namely:-

1. (1) These rules may be called the Railways (Punitive charges for overloading of wagon) (Second Amendment) Rules, 2020.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Railways (Punitive charges for overloading of wagon) Rules, 2012, in the SCHEDULE,-
 - (a) under the heading Situation-A,-
 - (i) in Part-I, in the sub-heading, for the words “for wagons other than BCNHL, BCCW and BFNSM22.9 wagons”, the words “for wagons other than BCNHL, BCCW, BFNSM22.9, BCFC and BCFCM wagons” shall be substituted;
 - (ii) in Part-II, in item (ii), in the sub-heading, for the words “for BCCW and BFNSM22.9 wagons”, the words “for BCCW, BFNSM22.9, BCFC and BCFCM wagons” shall be substituted.

(b) under the heading Situation-B,-

- (i) in Part-I, in the sub-heading, for the words “for wagons other than BCNHL, BCCW and BFNSM22.9 wagons”, the words “for wagons other than BCNHL, BCCW, BFNSM22.9, BCFC and BCFCM wagons” shall be substituted;
- (ii) in Part-II, in item (ii), in the sub-heading, for the words “for BCCW and BFNSM22.9 wagons”, the words “for BCCW, BFNSM22.9, BCFC and BCFCM wagons” shall be substituted.

[F.No.TCR/1394/2020/2]

BARJESH DHARMANI, Ex. Dir., Traffic Commercial (Rates)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section(i) *vide* number G.S.R.570(E), dated the 17th July, 2012 and subsequently amended *vide* notification numbers G.S.R. 898(E), dated the 17th December, 2012 , G.S.R. 550(E), dated the 10th July, 2015, G.S.R.278(E), dated the 26th March 2018, G.S.R.1205(E), dated the 14th December 2018, and G.S.R.560(E), dated the 16th September 2020.